मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
वल्लभ भवन ,मंत्रालय

कमांक एफ 6–108/2010/सात/नजूल   भोपाल, दिनांक   / 10/ 2013

प्रति,

कलेक्टर,
जिला– भोपाल
(म0प्र0)

विषयः–   मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्व विद्यालय भोपाल को भूमि आवंटन ।

संदर्भः–   आपका का पत्र कमांक 576/नजूल/बैरावृत्त/13,दिनांक 12–2–2013

राज्य शासन एतदद्वारा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्व विद्यालय भोपाल को ग्राम पिपलनेर तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा कमांक–4 रकबा 2.62 एकड़,खसरा कमांक 5 रकबा 0.29 एकड़ एवं खसरा क0 –22 रकबा 3.94 एकड़ में से 3.53 एकड़ इस प्रकार कुल रकबा 6.44 एकड़ भूमि बिना प्रब्याजि एवं वार्षिक भू–भाटक एक रूपये पर स्थायी लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30–10–2012 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता0/-
(सुमन रायकवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

पृ0कमांक एफ 6–108/2010/सात/नजूल   भोपाल,दिनांक 4/10/ 2013

प्रतिलिपिः–

1– माननीय राजस्व मंत्रीजी के निज सहायक ।
2– प्रमुख सचिव/सचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के निज सहायक ।
3– सचिव,मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग,मंत्रालय, भोपाल ।
4– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5– आयुक्त ,भोपाल संभाग,भोपाल।
6– क्षेत्रीय निदेशक मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 12 अहमदाबाद पैलेस,कोहेफिजा भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित ।
7– गार्ड फाईल हेतु ।

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,राजस्व विभाग

पंजीकृत डाक से

मध्य प्रदेश शासन,राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 6—108/2010/सात/नजूल भोपाल, दिनांक / 10 / 2012

प्रति,

कलेक्टर,
जिला— भोपाल (म0प्र0)

विषयः— भूमि आवंटन — मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भोपाल ।

संदर्भ— आपका पत्र क्रमांक 873/ नजूल /बैरा वृत्त/2010 दिनांक 2—6—2010

राज्य शासन एतदद्वारा क्षेत्रीय निदेशक मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ग्राम पीपलनेर भोपाल को ग्राम पीपलनेर स्थित भूमि खसरा क्र0 4 रकबा 2.62 एकड़, खसरा क्र0 5 रकबा 0.29 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 22 रकबा 3.94 एकड़ में से रकबा 3.53 एकड़ इस प्रकार कुल रकबा 6.44 एकड़ भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार—(1) की कंडिका 26 (6) के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012—13 की गाइड—लाइन के आधार पर नियमानुसार प्रव्याजी एवं भू —भाटक लेकर स्थायी लीज इस शर्त पर सामान्य शर्तो के साथ—साथ निम्न विशेष शर्तो पर आवटन की स्वीकृति प्रदान करता है ,यह शर्ते भी पट्टे का भाग होगी :—

1. आदेश जारी होने की तिथि से आवेदक/संस्था से भू—भाटक की राशि 06 माह के अंदर जमा करावें। यदि वे निर्धारित अवधि तक प्रव्याजि एवं भू—भाटक जमा नहीं करते हैं तो आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। इस हेतु पृथक से कोई नोटिस नहीं दिया जावेगा।
2. पट्टा अनुबंध का अनिवार्य रूप से उप पंजीयक/पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण कराया जाए तत्पश्चात् ग्राम पटवारी भू—अभिलेख में संशोधन प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। पट्टे के पंजीकरण एवं भू—अभिलेख में प्रविष्टि के उपरांत ही भूमि का आधिपत्य सौंपा जाए और भू—भाटक की नियमित वसूली सुनिश्चित की जाए।
3. आवंटित भूमि का आवेदित प्रयोजन के अलावा अन्य उपयोग नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
4. यदि वंटित भूमि कभी भी उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होती है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है, तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और आवंटिती को उसका मुआवजा देय नही होगा।

5. भूमि के किसी भी उपयोग या इस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित स्थानीय संस्थाओं नगर निगम ,नगर तथा ग्रामीण निवेश आदि से आवंटिती को लेना होगी तथा मास्टर प्लान व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी प्रावधानों, अन्य विधिक अनुमतियां, जो आवश्यक हो, आदि को प्राप्त करना होगा व उनकी शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा।

6. शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन का परीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

7. भूमि एवं भूमि पर बनी आस्तियां एवं सेवाएं न तो बंधक रखी जाएंगी और न ही उस पर कोई ऋण लिया जायेगा। राज्य शासन इस हेतु कोई अनुमति भी नहीं देगा।

2— यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 2/2/02/नियम—चार दिनांक 30—9—2002 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गयी है।

3— आपके कार्यालय से प्राप्त राजस्व प्रकरण कमांक 07/अ—20(1) / 09—10 मूलतः संलग्न कर लौटाया जाता है।

संलग्न :—राजस्व प्रकरण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता०/-
(एस०के०रजक)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

पृ०कमांक एफ 6—108/2010/सात/नजूल भोपाल,दिनांक 30/ 10/ 2012

प्रतिलिपिः—

1— सचिव,मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग,मंत्रालय, भोपाल ।
2— महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3— आयुक्त ,भोपाल संभाग ,भोपाल ।
4— क्षैत्रीय निदेशक ,मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी , 12 अहमदाबाद पैलेस ,कोहेफिजा भोपाल।
5— माननीय राजस्व मंत्रीजी के निज सहायक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित ।

6— गार्ड फाईल हेतु ।

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,राजस्व विभाग